प्रेमपाल

बनाम

हरयाणा राज्य

(अपराधिक अपील संख्या **2030/2012**)

3 सितम्बर, **2014**

(टी. एस. ठाकुर तथा आर. भानुमति, जेजे)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1860** ए एस **302** -हत्या - आरोप यह है कि अपीलार्थी ने अपनी भाभी (पीडित मृतक) के साथ हाथापाई की और उस पर मिटटी का तेल डाला और आग लगा दी - पीडित-मृतक को अस्पताल ले जाया गया जहां तहसीलदार ने उसका मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया। दोषसिद्धि मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर - माना गया कि मृतक के बयान देने के लिए उपयुक्त होने के संबंध में डॉक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद तहसीलदार द्वारा मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया था - साक्ष्य में भी डॉक्टर ने कहा कि मृतक सचेत थी और ठीक स्थिति में थी बयान दें - यह दिखाने के लिए कुछ भी नही था कि अपीलार्थी को झूठा फंसाने के लिए मृतका को उसके रिश्तेदारों ने पढाया था - डॉक्टर और तहसीलदार ने इस सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया कि मृतका को रिश्तेदारों के द्वारा पढाया गया था - मृतका तथा उसका पति अलग रह रहे थे तथा पत्नी के

लिए उसके देवर-पी डब्लू 7, को झूंठे मुकदमें में फंसाने का कोई कारण नही था, मृतका के चाचा ने कहा है कि जब वह अस्पताल पहुंची, मृतका ने उसे सुचित किया कि अपीलार्थी अपराधी था - पी डब्लू 7 के साक्ष्य और मरने से पहले दिए गए बयान के मध्य कोई महत्वपूर्ण असंगता नही थी। अधिनस्थ न्यायालयों ने पाया कि मृत्यु पूर्व घोषणा विश्वसनीय और प्रेरणादायक विश्वास दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही - मृत्यु पूर्व घोषणा।

आपराधिक न्याय जलने से मृत्यु - माना गया: जले हुये चोट के मामले में, न्यायिक दिमाग में दो संभावित परिकल्पनाएं उठती है, क्या ये आत्महत्या थी या हत्या थी - ऐसे मामलों में जहां अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मरने से पहले दिए गए बयान को विश्वसनीयता मिल जाती है, आत्महत्या की वैकल्पिक परिकल्पना को अपनाना पडता है उचित रूप से समाप्त किया जाना चाहिये।

साक्ष्य: मृत्यु पूर्व उद्घोषणा - की विश्वसनीयता - माना गयाः जब मृत्युकालीन घोषणा पर भरोसा किया जाता है, तो न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिये कि मृत्यु से पूर्व की घोषणा सत्य है, स्वैच्छिक है और किसी शिक्षण या संकेत या कल्पना के परिणाम के रूप में नही है - न्यायालय इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिये कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक थी - यदि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान विश्वसनीय पाया जाता है, तो किसी

भी गवाह द्वारा पुष्टि की आवश्यकता नही है और केवल उसी आधार पर दोषसिद्धि कायम की जा सकती है - वर्तमान मामले में तहसीलदार डॉक्टर और अन्य गवाहों के साक्ष्य ठोस और सुसंगत थे कि मृतक सचेत था और मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त स्थिति में था और न्यायालयों ने उसी पर दोषसिद्धि को सही आधार दिया - जब अधिनस्थ न्यायालयों ने इसके सच्चे परिप्रेक्ष्य में पूरे साक्ष्य की सराहना की। दोषसिद्धि आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि उस दुर्भाग्य पूर्ण दिन, दोपहर **3** बजे, अपीलार्थी, जो पीडित-मृतका का बहनोई था मृतका के साथ मारपीट की और अपने पिता की मदद से उसे एक तरफ धकेल दिया और उस पर मिटटी का तेल डाला और आग लगा दी। अपीलार्थी के पिता ने मृतका बहू को बहू के शरीर पर **95** प्रतिशन जली चोटों के साथ **4** पीएम पर अस्पताल लाये। न्यायाधीश ने मृतक के बयान देने की स्थिति से सम्बन्धित वैद्यकीय अधिकारी की राय को देखने के बाद, मृतका का बयान अभिलेखित किया जिसमें मृतका ने अपने देवर को घटना के लिए उत्तरदायी माना। मृतका की मृत्यु उसी समय **11.45** पर हुई थी। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आईपीसी की धारा **302** और **354** के अंतर्गत दोषी ठहराया। हालांकि, मृतका के ससुर को बरी कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने अईपीसी की धारा **302** के अंतर्गत अपीलार्थी की सजा की पुष्टि की और उसे आईपीसी की धारा **354** के तहत बरी कर दया।

मौजूदा अपील में, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि मृतका पूरे शरीर पर **95** प्रतिशत जल गई थी। और मृतका के हाथों तथा पैरों की उंगलियों में जलने की गहरी चोटें थी तथा अपने मृत्यु पूर्व बयान को अभिलेखित करने के तुरंत बाद मर गई और उसके बाद बयान देना संभव नही हो सका और विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने मृतका के मृत्यु पूर्व बयान पर भरोसा कर गलती की, यह कि यद्यपि पी डब्लू **4,** तहसीलदार को बयान लेने के लिए मृतका की फिटनेस के संदर्भ में भी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, फिर भी उसके द्वारा कोई विशिश्ट प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया था कि मृतका अपना बयान दर्ज करते समय पूरे समय सचेत रही थी, मृतक द्वारा दो विरोधाभासी बयान थे और पीडब्लू **4,** तहसीलदार के समक्ष एक बयान में, मृतक ने केवल अपीलार्थी का नाम लिया, जबकि पीडब्लू-**7** के समक्ष दूसरे बयान में, उसने न केवल दो आरोपी व्यक्तियों का नाम लिया, बल्कि भूमिकाओं को भी स्पष्ट रूप से परिभाशित किया। व्यक्तिगत रूप से संबन्धित आरोपी व्यक्तियों के लिए और इस विरोधाभास ने घटना और मृतक के बयान की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा किया और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू की उचित सराहना नही की गई, और यह अधिनस्थ न्यायालयों ने अभियुक्तों द्वारा दिए गए बचाव पक्ष के कथन की ठीक से सराहना नही की कि मृतक ने आत्महत्या की थी।

न्यायालय द्वारा अपील को निरस्त करते हुये अभिनिर्धारित किया गया **:-**

1. 8.20 पीएम पर सूचना की प्राप्ति पर, पीडब्लू 8, पुलिस अधिकारी - पीडब्लू 8, एएसआई ने चिकित्सा अधिकारी से राय मांगी की क्या मृतक बयान देने के लिए फिट था या नही और पीडब्लू 3, डॉक्टर ने राय दी कि मृतक मृतक बयान देने के लिए उपयुक्त थी। पीडब्लू 8 ए एस आई से निवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार राज 9.15 बजे अस्पताल पहुंचे और पीडब्लू 4 तहसीलदार ने फिर से पीडब्लू 3 डॉक्टर की राय ली और पीडब्लू ने राय दी कि मृतक बयान देने के लिए फिट थी और उसके बाद ही पीडब्लू 4 तहसीलदार ने उवका बयान दर्ज किया जो प्रदर्ष पी-11 है। पीडब्लू 11 ने अपने साक्ष्य में, पीडब्लू 3 ने कहा कि मृतक सचेत थी और एक उपयुक्त स्थिति में थी। जब पीडब्लू 4 तहसीलदार ने बयान दर्ज किये तो, वह (पीडब्लू 3) पूरे समय मौजूद रहे और उन्होने बयान प्रदर्ष.11 का समर्थन भी किया। अपनी जिरह में, पीडब्लू 3 ने कहा कि मृतक 95 प्रतिशत जलने के कारण इस संभावना को नकारा नही जा सकता कि कोई एक व्यक्ति 95 प्रतिशत जलने के बाद बेहोश हो सकता है। मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्ष पी-11 की विश्वसनीयत को आत्मसात करने के लिए डॉक्टर पीडब्लू 3 से प्राप्त इन उत्तरों पर अधिक विश्वास व्यक्त किया गया था। इन जवाबों को पीडब्लू 3 से प्रति-परीक्षण के दौरान आत्मसात किया गया था जां अंतिम राय थी। प्रदर्ष पी- 12 तथा पी 13 प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करते हुये जारी किये मृतक बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में थी। पीडब्लू 3 डॉक्टर की जिरह के दौरान प्राप्त राय के सबूतों कें अनुसार,

डॉक्टर अपने बयान में दावे पर कायम नही रह सकते, बयान देने के लिए मृतक की मानसिक स्थिति फिट थी। चोट लगने के बाद पीडिता आधी रात तक जीवित थी और राज **11.45** बजे उसकी मौत हो गई। **(**पैरा **7** तथा **8) (624-**ए-एफ**)**

2. मृतक अपरान्ह **3.00** बजे जल गई थी और उन्हें **4.00** पीएम पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका बयान समय **9.15** पीएम से **9.25** पीएम तक पीडब्लू **4** तहसीलदार के द्वारा अभिलेखित किया गया था। पीडब्लू **3** के प्रतिपरीक्षण के दौरान, उनसेयह आत्मसात किया गया था कि करीब आठ से दस व्यक्ति, जो मृतक के परीजन थे, अस्पताल में आये। अपीलार्थी की ओर से, यह तर्क दिया गया कि मृतक को अस्पताल में भर्ती करने तथा पीडब्लू **4**, तहसीलदार के द्वारा मृतक के बयान अभिलेखित करने मध्य समय के लम्बे अंतराल में, मृतक के बहुसंख्य रिश्तेदार जमा हुये और इसलिये, यह संभावना है कि अपीलार्थी को झूठा फंसाने के लिए मृतक को सिखाया गया हो। इस दलील में कोई दम नही था कि मृतक अपने परिवार के सदस्यों से घिरी हुई थी और उसे अपीलार्थी को झूठा फंसाने के लिए सिखाया गया था। हो सकता है कि मृतक को अस्पताल मे भर्ती कराने के बाद उसकी देखभाल के लिए परिवार के कुछ सदस्य वहां मौजूद हों, लेकिन ऐसी कोई सामगी नही थी जिससे लगे कि वे बात कर रहे थे या मृतका को सिखाया गया था। पीडब्लू**-3** डॉक्टर और पीडब्लू**- 4** तहसीलदार ने इस सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि

मृतक को उसके पिता या उसके रिश्तेदारों ने सिखाया था। मृतका और उसका पति अलग अलग रहते थे। जबकि, मृतक के पास अपने जीजा को झूंटा फंसाने का कोई कारण नही था। (पैरा 10) (624-जी-एच, 625 ए सी)

3. जब मृत्यु पूर्व कथन पर निर्भरता होती है, तो न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिये कि मृत्यु पूर्व कथन सत्य है स्वैच्छिक है और किसी शिक्षण या संकेत या कल्पना के परिणाम के रूप में नही है। न्यायालय को इस बात से भी संतुष्ट होना चहिये कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक थी। (पैरा 11) (625 डी ई)

4. मृतका को 95 प्रतिशत चोटें लगी थीं, फिर भी पीडब्लू-4 तहसीलदार के समक्ष उसका बयान स्पष्ट और ठोस था। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की विश्वसनीयता की जांच की और इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को दर्ज किया कि प्रदर्ष 11 की मृत्यु पूर्व घोषणा विश्वसनीय थी और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती थी। ऐसे निष्कर्षो में कोई विकृति नही थी। पीडब्लू 7 मृतका का चाचा था। अपने साक्ष्य में पीडब्लू 7 ने कहा कि जब वे अस्पताल पहुंच तो मृतका ने उन्हें और अपने पिता को बताया कि उसके जीजा ने उसके साथ हाथापाई की और उसे धक्का देकर गिरा दिया और इसी बीच उसके ससुर आए और पूछने लगे, अपीलार्थी मिटटी का तेल लाया और उस पर गिरा दिया और आग लगा दी और उसके बाद दोनों ने आग बुझाने की कोशिश की। जहां तक अपीलार्थी के प्रत्यक्ष कृत्य, मृतक

पर मिटटी का तेल डालने का सवाल है पीडब्लू 7 और प्रदर्ष 11 मृत्यु पूर्व घोषणा के साक्ष्य के मध्य कोई भौतिक असंगता नही थी। जांच के दौरान दर्ज किये गये पीडब्लू 7 के बयान का हवाला देते हुये, विचारण न्यायालय ने तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाला कि अपनी चिंता में, पीडब्लू 7 ने मृतक के ससुर को भी शामिल करने की कोशिश की और अपने मर्ग/इंक्वेस्ट के दौरान पहले दर्ज किए बयान में ससुर को नही शामिल नही किया और इन निष्कर्षो के आधार पर विचारण न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए ऐसे तथ्यात्मक निष्कर्षो के प्रकाश में, इस दलील में कोई दम नही थी कि मृतक के दो विरोधाभासी संस्करण थे। (पैरा 13,14, और बी 16, 628 जी एच, 629 एबी, एफ एच 630 ए)

5. बचाव पक्ष का तर्क यह था कि मृतका ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह एक बच्चे को जन्म न दे पाने के कारण निराश थी। अपीलार्थी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में कथन किया है कि दिनांक 24.10.2001 को दिनांक 24.10.2001 को नारनौद को घरेलू वस्तुएं खरीद ने के लिए गया हुआ था तथा 5.00 पीएम पर घर को लौट आया और उसके तुरंत बाद उसकी जानकारी में यह आया कि उसकी भाभी ने स्वयं को आग लगा ली और तथा उसके पिता ने उसे इलाज के लिए शांती अस्पताल ले गये और यह कि मृतका उदास रहती थी क्योंकि उसे बच्चा नही हो रहा था और इसलिये उसने आत्महत्या कर ली। अपीलार्थी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने पिता के बयान पर भरोसा

िकाय और जय सिंह भी झूलस गये। तथ्य यह है कि ससुर जल गये थे, इससे यह निष्कर्ष नही निकला कि यह आत्महत्या थी। (पैरा **17) ;630** बी डी)

6. जलने के चोट के प्रकरणों में, न्यायिक दिमाग में दो संभावित परिकल्पनाएं उठती है कि क्या यह आत्महत्या थी या यह हत्या थीं ऐसे मामलों में जहां अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मृत्यु पूर्व बयान को विश्वसनीयता मिल जाती है, आत्महत्या की वैकल्पिक परिकल्पना को उचित रूप से समाप्त करना होगा। मौजूदा मामलें में, अगर यह आत्महत्या थी, तो मृतक जो मौत के कगार पर था, उसके पास अपने जीजा को झूठा फंसाने का कोई कारण नही था। आत्महत्या सिद्धांत के बचाव संस्करण में कोई दम नही था। (पैरा **8) (630** ई एफ)।

7. यदि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान विश्वसनीय पाया जाता तब वहां किसी गवाह के द्वारा पुष्टिकरण की जरूरत नही है तथा दोषसिद्धि उस एक आधार पर कायम की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार, निदेशक तथा अन्य गवाहों की साक्ष्य ठोस और सुसंगत है कि मृतका सचेत थी और मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए मानसिक रूप से उचित अवस्था में थी तथा न्यायालयों ने उक्त पर सही रूप से दोषसिद्धि की है। जब विचारण न्यायालय साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य को

इसके सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है। हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही है और अपील विफल हो जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव और अन्य। एआईआर 1985 एससी 416 = (1985) 1 सेकंड 552: 1985 (2) एससीआर 621; बापू बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 2 एससीसी (सीआरएल) 545 = (2006) 12 एससीसी 73: 2006 (9) पूरक। एससीआर 52 - पर भरोसा किया।

केसकानून संदर्भ

1985 (2) एससीआर 621	भरोसा किया	पैरा 11 पर
2006(9) पूरक.एससीआर 52	भरोसा किया	पैरा 12

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील की संख्या 2030/2012

पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के आपराधिक अपील संख्या 716-डीबी /2002 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.11.2011 से

ऋषि मल्होत्रा अपीलार्थी की ओर से।

विवेकता सिंह, नूपुर चौधरी, कमल मोहन गुप्ता, प्रतिवादी के लिए ।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश आर. भानुमति, जे. द्वारा पारित किया गया **:-**

1. यह अपील चण्डीगढ स्थिति पंजाब एण्ड हरयाना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या **716**-डीबी/**2002** में पारित निर्णय दिनांकित **28.11.2011** में से यह अपील उभरी है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा **302** आईपीसी कें अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धी की और साथ ही साथ अपीलार्थी पर लगाये गये आजीवन कारावास की सजा की भी पुष्टि की है।

2. संक्षिप्त कथित अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि श्रीमती अनिता (मृतका) का विवाह धर्मपाल के साथ वर्ष **1997** में संपन्न हुआ था। अपीलार्थी प्रेमपाल, धर्मपाल का छोटा भाई है। **24.10.2001** को दोपहर **3.00** बजे अनीता गांव बुडाना स्थित अपने वैवाहिक घर में अकेली थी, उसका पति धर्मपाल गावं मिलकपूर में शिक्षक के रूप में कार्यरत था, स्कूल से घर नही लौटा था, उसकी सास अपने पीहर के गांव गई हुई थी। जब अनिता पूरी तरह से अकेली थी, तब अपीलार्थी प्रेमपाल ने अनिता के साथ मारपीट की और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और लगभग **3.00** बजे दोपहर में अपीलार्थी के पिता जयसिंह के साथ उसे आग लगाने का आरोप लगाया। अनिता को शांती अस्पताल लाया गया। उसी दिन शाम **4.00** बजे उसके ससूर जयसिंह द्वारा उसके शरीर पर **95** प्रतिशत जले

होने के कारण नारनौंद के शांती अस्पताल में उसी दिन **4.00** पीएम पर लाई गई थी। वैद्‌यकीय अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर और चिकित्सा अधिकारी की राय प्राप्त करने के बाद कि अनीता बयान देने के लिए फिट स्थिति में है, सहायक पुलिस उप निरीक्षक (पीडब्लू **8**) ने पीडब्लू **4** तहसीलदार से अनीता का बयान दर्ज करने का अनुरोध किया। तहसीलदार कार्यकारी मजिस्ट्रेट (पीडब्लू **4**) अस्पताल पहुंचे और फिर से चिकित्सा अधिकारी (प्रदर्ष पी **13**) की राय मांगी, जिन्होने कहा कि अनीता बयान देने के लिए फिट है। तहसीलदार (पीडब्लू **4**) ने अनीता (प्रदर्ष पी **11**) का बयान दर्ज किया, जिसमें मृतक अनीता ने कहा कि उसके जीजा प्रेमपाल ने उसके साथ हाथापाई की और उसे एक तरफ धकेल दिया और उस पर मिटटी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। उसके बयान के आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा **307** के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पीडब्लू **8** ने जाचं शुरू की थी और घटना स्थल का रफ साईट मैप तैयार किया था और अपराध स्थल से भौतिक वस्तुएं जब्त की थी।

3. दिनांक **24.10.2001** को करीब **11.45** पीएम पर अनीता ने चोटों के कारण दम तोड दिया। अनीता की मौत की सूचना मिलने पर जांच अधिकारी अस्पताल गये और जांच जो कि कार्यवाही की और जांच रिपोर्ट तैयार की। पीडब्लू **1**, डॉ जे पी मालिक ने मृतक अनीता के शरीर का शव परीक्षण किया और पोस्टमार्टम प्रमाणपत्र जारी किया। जांच अधिकारी ने धन सिंह (पीडब्लू **7**) और अनीता के पिता छोटू राम का बयान दर्ज किया।

धारा **307** आई पीसी के तहत दर्ज मामले को धारा **302** आईपीसी में बदल दिया गया और पूरा होने के बाद जांच में अपीलार्थी और मृतक के ससुर जय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

4. अभियुक्त के अपराध को स्पष्ट करने के लिए, अभियोजन ने **8** गवाहों को परिक्षित किया तथा दस्तावेजात पर प्रदर्ष क्रमांक डाले और भौतिक वस्तुओं का प्रदर्षन किया। मुकदमें के समापन के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आईपीसी की धारा **302** के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और डिफॉल्ट क्लॉज के साथ **5000/-** रू का जुर्माना भी भरना पडा। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आईपीसी की धारा **354** के तहत भी दोषी ठहराया और उसे दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सुनाई और दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया। सह अभियुक्त जय सिंह को आरोप से बरी कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय ने धारा **302** आईपीसी के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर लगाई गई सजा की पुष्टि की और धारा **354** आईपीसी के तहत उसे बरी कर दिया। व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनीता का पूरा शरीर **95** प्रतिशत जल गया था और अनीता के हाथ और पैर की अंगुलियों मे गहरी चोटें थी तथा अपने मृत्यु पूर्व बयान को अभिलेखित

करने के तुरंत बाद मर गई और उसके बाद बयान देना संभव नही हो सका और विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने मृतका के मृत्युपूर्व बयान पर भरोसा कर गलती की। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि पीडब्लू **4,** तहसीलदार को बयान देने के लिए मृतक की फिटनेस के संबंध में प्रमाणपत्र मिला था, फिर भी उनके द्वारा कोई विशिश्ट प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया था कि मृतक अपना बयान दर्ज करते समय पूरे समय सचेत रही। यह प्रस्तुत किया गया कि न्यायालयों ने अभियुक्तों द्वारा पेश किए गए बचाव पक्ष की व्याख्या को उचित रूप से नही सराहा कि अनीता ने आत्महत्या की थी।

6. इसके विपरित, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनीता का मृत्यु पूर्व बयान सत्य एवं स्वैच्छिक है और किसी शिक्षण या संकेत या कल्पना के परिणाम के रूप में नही है और उक्त पर न्यस्त रहते हुये विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने उचित रूप से दोषसिद्धी की है।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की संबन्धित दलीलों पर उचित विचार किया है। रात **8.20** बजे सूचना मिलने पर, पीडब्लू **8** ने चिकित्सा अधिकारी की राय मांगी कि क्या अनीता बयान देने के लिए फिट है या नही और पीडब्लू **3** डॉक्टर ने राय दी कि अनीता बयान देने के लिए फिट है। पीडब्लू **8** ए एस आई, पीडब्लू **4** से अनुरोध प्राप्त होने पर, तहसीलदार

रात **9.15** बजे अस्पताल पहुंचे और पीडब्लू **4** तहसीलदार ने फिर से पीडब्लू **3** डॉक्टर और पीडब्लू **3** की राय ली, डॉ सुरेश ने राय दी कि अनीता बयान देने के लिए फिट थी और उसके बाद ही पीडब्लू **4** तहसीलदार ने उसका बयान दर्ज किया जो कि प्रदर्ष-**11** है। अपनी साक्ष्य में, पीडब्लू **3** ने कहा कि अनीता होश मे थी और जब पीडब्लू **4** तहसीलदार ने बयान दर्ज किया तो वह फिट स्थिति में थी, वह **(**पीडब्लू **3)** पूरे समय मौजूद रहा और उसने प्रदर्ष-**11** की भी पुष्टि की।

8. अपनी जिरह में, पीडब्लू **3** ने कहा कि अनीता **95** प्रतिशत जलने के कारण इस संभावना को नकारा नही जा सकता कि कोई एक व्यक्ति **95** प्रतिशत जलने के बाद बेहोश हो सकता है। मृत्युपूर्व बयान प्रदर्ष पी-**11** की विश्वसनीयता को आत्मसात करने के लिए डॉक्टर पीडब्लू **3** से प्राप्त इन उत्तरों पर अधिक विश्वास व्यक्त किया गया था। इन जवाबों को पीडब्लू **3** से प्रति-परीक्षण के दौरान आत्मसात किया गया था जो अंतिम राय थी। प्रदर्ष पी- **12** तथा पी **13** प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करते हुये जारी किये अनीता बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में थी। पीडब्लू **3** डॉक्टर की जिरह के दौरान प्राप्त राय के सबूतों कें अनुसार, डॉक्टर अपने बयान में दावे पर कायम नही रह सकते, बयान देने के लिए अनीता की मानसिक स्थिति फिट थी। चोट लगने के बाद अनीता आधी रात तक जीवित थी और दिनांक **24.10.2001** को रात **11.45** बजे अनीता की मौत हो गई।

9. अनीता अपरान्ह **3.00** बजे जल गई थी और उसे **4.00** पीएम पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अनीता का बयान समय **9.15** पीएम से **9.25** पीएम तक पीडब्लू **4** तहसीलदार के द्वारा अभिलेखित किया गया था। पीडब्लू **3** के प्रतिपरीक्षण के दौरान, उन से यह आत्मसात किया गया था कि करीब आठ से दस व्यक्ति, जो अनीता के परीजन थे, अस्पताल में आये। अपीलार्थी की ओर से, यह तर्क दिया गया कि अनीता को अस्पताल में भर्ती करने तथा पीडब्लू **4**, तहसीलदार के द्वारा अनीता के बयान अभिलेखित करने मध्य समय के लम्बे अंतराल में, अनीता के बहुसंख्य रिश्तेदार जमा हुये और इसलिये, यह संभावना है कि अपीलार्थी को झूठा फंसाने के लिए अनीता को सिखाया गया हो।

10. हमनें इस दलील में कोई दम नही पाया कि अनिता अपने परिवार के सदस्यों से घिरी हुई थी और उसे अपीलार्थी को झूठा फंसाने के लिए सिखाया गया था। हो सकता है कि अनिता को अस्पताल मे भर्ती कराने के बाद उसकी देखभाल के लिए परिवार के कुछ सदस्य वहां मौजूद हों, लेकिन ऐसी कोई सामगी नही थी जिससे लगे कि वे बात कर रहे थे या अनिता को उसके पिता अथवा उसके रिश्तेदारों के द्वारा सिखाया गया था। मृतका और उसका पति धर्मपाल अलग अलग रहते थे। जबकि, अनीता के पास अपने जीजा को झूठा फंसाने का कोई कारण नही था।

11. जब मृत्युकालीन घोषणा पर भरोसा किया जाता है, तो न्यायालय को संतुश्ट होना चाहिये कि मृत्यु से पूर्व की घोषणा सत्य है, स्वैच्छिक है और किसी शिक्षण या संकेत या कल्पना के परिणाम के रूप में नही है - न्यायालय इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिये कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक थी -उत्तर प्रदेश में प्रदेश बनाम राम सागर यादव एवं अन्य एआईआर 1985 एससी 416= ई (1985) 1 सेकंड 552 प्रकरण में इस न्यायालय ने माना कि यदि न्यायालय संतुष्ट है क मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सत्य और स्वैच्छिक है, तो वह बिना पुष्टि के उस पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है। इस संदर्भ में, निर्णय के पैरा **(13)** में की गई टिप्पणियां ध्यान देने योग्य है:-

> "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि, कानून के एक मामले के रूप में, मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर बिना पुष्टि के कार्रवाई की जा सकती है। (खुशाल देखें राव बनाम बॉम्बे राज्य, 1958 एससीआर 552; हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1962 सप्लिमेंट 1 एससीआर 104; गोपालसिंह बनाम म.प्र. राज्य (1972) 3 सेकंड 268) विवेक का ऐसा कोई एक नियम भी नही है जो कानून के नियम में कठोर हो गया हो कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर तब कार्रवाही नही की जा सकता जब तक कि इसकी पुष्टि न जो जाये। न्यायालय का प्राथमिक प्रयास यह पता लगाना होगा कि

मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सच है या नही। यदि है तो पुष्टि प्रश्न नही उठता है। ऐसा तभी होता है जब मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आसपास की परिस्थितियां स्पष्ट या ठोस न हों, तभी अदालत अपने आश्वासन के लिए मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की पुष्टि की तलाश कर सकती है......."

12. बापू बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 2 एससीसी (सीआरएल) में 545=(2006) 2 एससीसी 73, यह न्यायालय पैरा (14) और (15) में निम्नानुसार मनाया गया:-

14. रवि बनाम तमिलनाडू राज्य [(2004) 10 एससीसी 776] सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि: (एससीसी पृष्ठ 777, पैरा 3)

"(1) यड़ि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की सत्यता पर संदेह नही किया जा सकता है, तो केवल वही तक अभियुक्त की सजा का आधा बन सकता है और कानून में इसके लिए किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नही है।''

15. मुथु कुट्टी बनाम राज्य **[(2005) 9** एससीसी **113)** में पैरा **15** के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार देखा: **(**एससीसी पृष्ठ **120-121)**

“**15.** हालांकि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को बहूत महत्व दिया जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त के पास जिरह की कोई शक्तिनही है। शपथ के दयित्व के रूप में सच्चाई जानने के लिए ऐसी शक्ति आवश्यक है। यही कारण है कि न्यायालय इस बात पर भी जोर देती है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान इस तरह का होना चहिये कि न्यायालय को उसकी सत्यता पर पूरा भरोसा हो। अदालत को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मृतक का बयान किसी टयूशन या उकसावे के परिणामस्वरूप नही दिया गया हो या कल्पना का उत्पाद हो। न्यायालय इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिये कि हमलावर को देखने और पहचाने के स्पष्ट अवसर के बाद मृतक की मानसिक स्थिति ठीक थी। एकबार जब न्यायालय संतुष्ट हो जाती है कि घोषणा सच्ची और स्वैच्छिक थी, तो निस्संदेह बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के अपनी दोषसिद्धि की आधार बनाये वह ऐसा कर सकती है। यह कानून के पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नही किया जा सकता है कि मरने से पहले दिया गया बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नही बन सकता जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाए। पुष्टिकरण की आवश्यकता वाला नियम केवल विवेक का नियम है।

इस न्यायालय ने कई निर्णयों में मृत्युपूर्व बयान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिसे पानीबेन बनाम गुजरात राज्य **[(1992) 2** एससीसी **474]** में बताए गए अनुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: (एससीसी पीपी **480-81,** पैरा **18-19)** जोर दिया गया है) ।

(i) न तो कानून का नियम है और न ही विवेक का कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती। (मुन्नू राजा बनाम मध्य प्रदेश राज्य देखें) **[(1976)3** सेकंड **104]**

(ii) यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी पुष्टि के उस पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है। (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव **[(1985) 1** एससीसी **552]** और रमावती देवी बनाम बिहार राज्य देखें) **[(1983) 1** एससीसी **211]**

(iii) अदालत को मृत्यु पूर्व बयान की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषणा ट्यूशन, प्रोत्साहन या कल्पना का परिणाम नहीं है। मृतक के पास हमलावरों को देखने और पहचानने का अवसर था

और वह घोषणा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में था। (के. रामचन्द्र रेड्डी बनाम लोक अभियोजक देखें **[(1976) 3 सेकंड 618])**

(iv) जहां मृत्यु पूर्व दिया गया बयान संदेहास्पद हो, वहां बिना पुष्टि साक्ष्य के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए (देखें रशीद बेग बनाम मध्य प्रदेश राज्य **[(1974) 4** एससीसी **264])**।

(v) जहां मृतक बेहोश था और कभी भी मृत्यु पूर्व बयान नहीं दे सका, उससे संबंधित साक्ष्य को खारिज कर दिया जाएगा (देखें काके सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य **[(1981)** अनुपूरक एससीसी **25])**।

(vi) मृत्यु पूर्व दिया गया बयान, जो दुर्बलता से ग्रस्त है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता (देखें राम मनोरथ बनाम यूपी राज्य **[(1981) 2** सेकंड **654])**।

(vii) केवल इसलिए कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में घटना के बारे में विवरण शामिल नहीं है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है (देखें महाराष्ट्र राज्य बनाम कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति नायडू **[(1980)** सप्ल.एससीसी **455])**।

(viii) समान रूप से, केवल इसलिए कि यह एक संक्षिप्त बयान है, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, बयान की संक्षिप्तता ही सत्य की गारंटी देती है (देखें सूरजदेव ओझा बनाम बिहार राज्य **[(1980)** अनुपूरक एससीसी **769)])**

(ix) आम तौर पर अदालत यह संतुष्ट करने के लिए कि क्या मृतक मृत्युपूर्व बयान देने के लिए मानसिक रूप से फिट है या नहीं, इसके लिए मेडिकल राय का सहारा लिया जाता है। लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मृतक मृत्युपूर्व बयान देने के लिए फिट और सचेत अवस्था में था, चिकित्सीय राय मान्य नहीं हो सकती (देखें नन्हाऊ राम वी राज्य म.प्र. **[(1988)** सप्लिमेंट एससीसी **152])**।

(x) जहां अभियोजन पक्ष का संस्करण मृत्युपूर्व बयान में दिए गए संस्करण से भिन्न है, तो उक्त घोषणा पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। (यूपी राज्य बनाम मदन मोहन **[(1989) 3** एससीसी **390]** देखें)।

(xi) जहां मृत्युपूर्व घोषणा की प्रकृति में एक से अधिक बयान हैं, समय के संदर्भ में पहले एक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेशक, यदि मृत्युपूर्व घोषणा की बहुलता को

विश्वसनीय और विश्वसनीय माना जा सकता है, तो इसे स्वीकार करना होगा (देखें मोहन/अल गंगाराम गेहानी बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1982) 1 सेकंड 700]) "

13. मृतक अनिता **95** प्रतिशत जल गई थी फिर भी पीडब्लू **4** के तहसीलदार के समक्ष उसका बयान स्पष्ट और ठोस था। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की विश्वसनीतय की जांच की और इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्षो को दर्ज किया कि प्रदर्ष **11** मृत्युपूर्व घोषणा विश्वसनीय है और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती है। हमे ऐसे निष्कर्षो में कोई विकृति नही दिखती।

14. पीडब्लू **7** धान सिंह मृतका अनिता का चाचा है। उसकी साक्ष्य में पीडब्लू **7** ने कथन किया है कि जब वे अस्पताल पहुंचे, मृतका ने उसे और उसके पिता छोटू राम को कहा कि उसके जीजा प्रेमपाल ने उसके साथ हाथापाई की और उसे धक्का देकर गिरा दिया और इसी बीच जय सिंह आया और प्रेमपाल से मिटटी का तेल लाने को कहा और आग लगा दी और प्रेमपाल मिटटी का तेल लेकर आया और उसके उपर डाला और जयसिंह ने उसे आग लगा दी और प्रेमपाल ने आग बुझाने की कोशिश की। यह प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्लू **7** की जिरह के दौरान, धारा **161** सीआरपीसी के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए उनके बयान के संदर्भ

में उनका सामना भी किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतक के दो विरोधाभासी बयान हैं और पीडब्लू **4,** तहसीलदार के समक्ष एक बयान में, अनीता ने केवल अपीलार्थी का नाम लिया, जबकि पीडब्लू-**7** के समक्ष दूसरे बयान मे उसने न केवल दो आरोपी व्यक्तियों का नाम लिया, बल्कि संबन्धित आरोपी व्यक्तियों की भूमिकाओं को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और यह विरोधाभासी घटना और अनीता के बयान की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है और इस पहलू की ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से सराहना नही की गई थी।

15. उपरोक्त तर्को का प्रतिकार करते हुये, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने हमे पीडब्लू **7** के साक्ष्य और विचारण कोर्ट के फैसले के बारे मे बताया और प्रस्तुत किया कि पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान में पीडब्लू **7** ने कहा था कि अनीता ने उसे बताया था। अपीलार्थी उसके जलने के लिए जिम्मेदार था और अदालतों ने सही ही माना कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान और पीडब्लू **7** के बयान के बीच कोई असंगतता नही है।

16. हमने पीडब्लू **7** के साक्ष्य और विचारण न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया। जहां तक अपीलार्थी के प्रत्यक्ष कृत्य, मृतक पर मिटटी का तेल डालने का सवाल है, हमें पीडब्लू **7** और मृत्युपूर्व घोषणा प्रदर्ष पी

11 के साक्ष्य के बीच कोई भौतिक असंगतता नही मिलती है। जाचं के दौरान दर्ज किए गए पीडब्लू **7** के बयान का हवाला देते हुये**,** विचारण न्यायालय ने तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किया कि अपनी चिंता में**,** पीडब्लू **7** धान सिंह ने जयसिंह को भी शामिल करने की कोशिश की और पूछताछ के दौरान दहर्ज किए गए अपने पहले के बयान में पीडब्लू **7,** धन सिंह ने जय सिंह को फंसाया नही और उक्त निष्कर्षो पर**,** विचारण न्यायालय ने जयपुर को बरी कर दिया। विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेखित उक्त तथ्यात्मक निष्कर्षो के आलोक में हम अपीलार्थी के अधिवक्ता की प्रस्तुती में कोई गुण नही पाते हैं कि मृतका के विरोधाभासी दो संस्करण थे।

आत्महत्या

17. बचाव पक्ष का तर्क यह था कि मृतका ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह एक बच्चे को जन्म न दे पाने के कारण निराश थी। अपीलार्थी ने अपने बयान अंतर्गत धारा **313** सीआरपीसी में कथन किया है कि दिनांक **24.10.2001** को दिनांक **24.10.2001** को नारनौद को घरेलू वस्तुएं खरीद ने के लिए गया हुआ था तथा **5.00** पीएम पर घर को लौट आया और उसके तुरंत बाद उसकी जानकारी में यह आया कि उसकी भाभी ने स्वयं को आग लगा ली और तथा उसके पिता ने उसे इलाज के लिए शांती अस्पताल ले गये और यह कि मृतका उदास रहती थी क्योंकि उसे बच्चा नही हो रहा था और इसलिये उसने आत्महत्या कर ली। अपीलार्थी ने सीआरपीसी की धारा **313** के तहत दर्ज अपने पिता के बयान पर भरोसा

किाय और जय सिंह भी झूलस गये। तथ्य यह है कि ससुर जल गये थे, इससे यह निष्कर्ष नही निकला कि यह आत्महत्या थी।

18. जलने के चोट के प्रकरणों में,न्यायिक दिमाग में दो संभावित परिकल्पनाएं उठती है कि क्या यह आत्महत्या थी या यह हत्या थीं ऐसे मामलों में जहां अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मृत्यु पूर्व बयान को विश्वसनीयता मिल जाती है, आत्महत्या की वैकल्पिक परिकल्पना को उचित रूप से समाप्त करना होगा। मौजूदा मामलें में, अगर यह आत्महत्या थी, तो मृतक जो मौत के कगार पर था, उसके पास अपने जीजा को झूठा फंसाने का कोई कारण नही था। हमे आत्महत्या सिद्धांत के बचाव संस्करण में कोई दम नही मिला।

19. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, जिसमें से कुछ का हमने उपर उल्लेख किया है, के अवलोकन से पता चलता है कि यदि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान विश्वसनीय पाया जाता है, तो किसी भी गवाह द्वारा पुष्टि की कोई आवश्यकता नही है और उस एकमात्र आधार पर दोषसिद्धि करकरार रखी जा सकती है।

20. मौजूदा प्रकरण में तहसीलदार, डॉक्टर और अन्य के साक्ष्य ठोस और सुसंगत है कि मृतका होश मे थी तथा मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए मानसिक स्थिति ठीक थी और न्यायालय ने उक्त आधार पर दोषसिद्धि को सही आधार दिया। जब विचारण न्यायालय के साथ साथ उच्च

न्यायालय ने भी पूरे साक्ष्य की सही परिप्रेक्ष्य में सराहना की है, तो हमें हस्तक्षेप करने को कोई कारण नही दिखता है और अपील विफल हो जाती है। परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

छेविका गुजराल | अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रमेश कुमार जोशी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।